(वाद संख्या–4159/17)

12.11.2020

परिवादी, लक्ष्मण साह, ग्राम सिहकुण्ड, प्रखण्ड खरीक, थाना खरीक बाजार, ग्राम पंचायत–लोकमानपुर, जिला भागलपुर उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना।

प्रसंगाधीन मामला परिवादी के 14 वर्षीय पुत्र, गोविन्द कुमार साह, की दिनांक **29.04.2014** को **कोशी में आई बाढ़ में डूबकर मृत्यु हो जाने के कारण अनुग्रह अनुदान भुगतान से संबंधित है।**

परिवादी का कथन है कि दिनांक 29 अगस्त, 2014 को उसके 14 वर्षीय पुत्र, गोविन्द कुमार की चारा लाने के दौरान कोशी नदी में आई बाढ़ में डूबकर मृत्यु हो गयी।

उसकी ओर से अपने उपरोक्त कथन के समर्थन में (1) दिनांक 29.08.2014 के अपराह्न 03:45 बजे खरीक थाना में दिये गये आवेदन के आधार पर उक्त थाना द्वारा संस्थित यू0डी0 केस नं0 003/14, दिनांक 29.08.2014 से सम्बन्धित कागजात तथा (2) मृतक गोविन्द कुमार के मृत्यु प्रमाण–पत्र व पोस्टमार्टम रिपोर्ट की छाया–प्रति दाखिल की गयी है साथ ही साथ (3) अनुग्रह अनुदान के संबंध में एक जनप्रतिनिधि ईन्जीनियर कुमार शैलेन्द्र, पूर्व विधायक, बिहपुर विधानसभा का अनुशंसा पत्र व (4) सह–ग्रामीणों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को किये गये अनुशंसा की छाया–प्रति भी दाखिल की गयी है।

परिवादी के परिवाद–पत्र पर जिला पदाधिकारी, भागलपुर से प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा अपने पत्रांक 971 सा0, दिनांक 29.04.2019 द्वारा वांछित प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ अंचलाधिकारी, खरीक, भागलपुर के तत्सम्बन्धी कई पत्रों की छाया–प्रति संलग्न की गयी है। जिसमें **यह स्वीकार किया गया है कि परिवादी के पुत्र की मृत्यु कोशी धार में स्नान करने के क्रम में डूब कर हुई है, लेकिन उनका कथन है कि बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 971, दिनांक 26.05.2015 के** अनुसार बाढ़ के अतिरिक्त समय खासकर नहाने के क्रम में पानी मे डूब कर मरने की स्थिति में दिनांक 01.04.2015 से ही मृतक को अनुग्रह अनुदान प्रभावी है, जबकि परिवादी के पुत्र की दिनांक 29.08. 2014 डूबकर मृत्यु हुई है अर्थात् **कथित घटना के दिन परिवादी के पुत्र को अनुग्रह अनुदान अनुमान्य नहीं है।**

परिवादी की ओर से आयोग के समक्ष इस आशय का एक दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किया गया है कि उसके एक सह–ग्रामीण उदय मेहता के दो वर्षीय पुत्र, मिठुन कुमार, की दिनांक 28.08. 2007 को कोशी नदी के बाढ़ में पानी में बह जाने के कारण हुई थी जबकि उसे जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा मृतक **अनुदान अभिलेख 03/07–08, अंचल–खरीक** के अन्तर्गत दिनांक **15.6.08 के पारित आदेश के द्वारा कुल 1,00,000/–(एक लाख रुपये) का अनुग्रह अनुदान भुगतान करने का आदेश दिया गया था जबकि परिवादी के पुत्र की मृत्यु 29.08.2014 को कोशी धार में स्नान करने के क्रम में डूब कर मृत्यु हुई है।**

उपर्युक्त तथ्यों से प्रतीत होता है कि जब वर्ष 2007 में दिनांक 28.08.2007 की घटना के आधार पर एक को अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया गया था तो सात वर्ष बाद दिनांक 29.08. 2014 की घटना पर किसी दूसरे को अनुग्रह अनुदान के भुगतान से इनकार किया जाना किसी भी दृष्टि से न तो उचित है और न ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुकूल है, वह भी तब जब 01.04. 2015 के बाद से इस तरह के मामले में भुगतान किया जा रहा है।

उपर्युक्त तथ्यों से आयोग प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण का मामला पाता है।

परिवादी की ओर से प्रस्तुत कागजातों के अवलोकनोपरान्त व मामले के तथ्यों व परिस्थितियों पर पूर्ण विचारोपरान्त आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसा की जाती है :–

1. परिवादी लक्ष्मण साह अपने 14 वर्षीय पुत्र गोविन्द कुमार की दिनांक 29.08. 2014 को कोशी धार में डूबने से हुई मृत्यु के आलोक में रु0 1,00,000/–(एक लाख रुपये) अनुग्रह अनुदान पाने के अधिकारी हैं।

2. जिला पदाधिकारी, भागलपुर से यह अनुरोध है कि आयोग के क्रम संख्या 01 में उल्लेखित अनुशंसा के आलोक में, उचित पहचान पर, परिवादी लक्ष्मण साह को दिनांक 26.02. 2021 के पूर्व रु0 1,00,000/–(एक लाख रुपये) अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाना सुनिश्चित

करते हुए उक्त भुगतान का अनुपालन प्रतिवेदन आयोग को समर्पित करे।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ परिवादी के परिवाद–पत्र (पृष्ठ–01–13/प0), परिवादी द्वारा समर्पित आवदेन के साथ अनुलग्नित कागजातों (पृष्ठ–22–32/प0 एवं 42–45/प0) व जिला पदाधिकारी, भागलपुर के प्रतिवेदन (पृष्ठ–35–40/प0) को संलग्न करते हुए जिला पदाधिकारी, भागलपुर को पत्र निर्गत करे साथ–ही–साथ उक्त पत्र की प्रति सूचनार्थ एवं उचित कार्रवाई हेतु प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार, पटना को भी प्रेषित किया जाय।

आज परिवादी की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है। अगली निश्चित तिथि के संबंध में परिवादी को सूचित करने की आवश्यकता नहीं है।

आज पारित आदेश की प्रति सूचनार्थ परिवादी को भी भेज दी जाय।

संचिका दिनांक 03.03.2021को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>